न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/455

1. रूक्मी बाई बेवा रतनलाल ।
2. चन्द्रकान्ता बाई पुत्री रतनलाल ।
3. प्रमिला पुत्री रतनलाल ।
4. द्वारका बाई पुत्री रतन लाल जाति बैरवा निवासीगण तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामनाथ पुत्र श्री मोडूलाल जाति बैरवा निवासी तलाब तहसील पीपल्दा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गायत्री उर्फ गोदरी बाई पत्नी रामनाथ ।
   1/2 रमेश चन्द पुत्र श्री रामनाथ आयु 45 साल।
   1/3. सुरेश पुत्र श्री रामनाथ आयु 43 साल ।
   1/4. राजेश पुत्र रामनाथ आयु 40 साल निवासीगण तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी 2–ई–38 पानी की टंकी के पास, तलवण्डी कोटा ।
2. मनभर बाई पत्नी स्वर्गीय गिर्राज जाति बैरवा ।
3. अभिषेक पुत्र गिर्राज जाति बैरवा ।
4. राजभारती पुत्री गिर्राज जाति बैरवा ।
5. सुलोचना पुत्री गिर्राज जाति बैरवा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमाकान्त लोढिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1/3 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 15.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 (मृतक) रामनाथ ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 78 में खसरा नम्बर 133 की रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 मिन की रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 235/121 की रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 की रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता मोडू पुत्र पन्ना जाति बैरवा की गैर खातेदारी में दर्ज है । जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.14 हैक्टर कायम किये । वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर मिन 32 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा (जो हैक्टर में 1.72 हैक्टर होते हैं) के बाद बन्दोबस्त वादी के खाते में खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर दज किया गया । वादी के खाते में 0.72 हैक्टर कमी रकबा दर्ज कर दिया गया । जबकि वादी अपने गत रकबे के मुकाबले 1.72 हैक्टर भूमि पर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 110 के समीपस्थ खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.14 हैक्टर की 0.72 हैक्टर भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की सहायता से अपने खाते में हुई कमी रकबे 0.72 हैक्टर की पूर्ति उक्तानुसार प्रतिवादीगण के खाते की भूमि से करावें ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर दर्ज किया गया । वादी के खाते में 0.72 हैक्टर कमी रकबा दर्ज कर दिया गया । जबकि वादी अपने गत रकबे के मुकाबले 1.72 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी तरह की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.03.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 (मृतक) रतन लाल के कायममुकाम अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण परीक्षण न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही प्रतिवादी कम 02 गिर्राज की मृत्यु सन् 2016 में हो गयी थी । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा उसके कायममुकामान नहीं बनाये इसलिए उनके खिलाफ परीक्षण न्यायालय में वाद अबेट हो गया । परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 01 की आराजी पुराना खसरा नम्बर 32 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा के नये नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि को 0.72 हैक्टर

कम मानकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 5 की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.14 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर में से 0.72 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट कम 01 की खातेदारी में दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.10.2019 को हुई जब अपीलान्ट रतनलाल जी का फौती इंतकाल खुलवाने के लिये हल्का पटवारी के पास गये । जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 09.10.2019 को अपीलान्ट ने नकल का आवेदन पेश किया और दिनांक 10.10.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2025–2028 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 की प्रमाणित प्रतियॉं हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण परीक्षण न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही प्रतिवादी कम 02 गिर्राज की मृत्यु सन् 2016 में हो गयी थी । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा उसके कायममुकामान नहीं बनाये इसलिए उनके खिलाफ परीक्षण न्यायालय में वाद अबेट हो गया । परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 01 की आराजी पुराना खसरा नम्बर 32 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा के नये नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि को 0.72 हैक्टर कम मानकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 5 की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.14 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर में से 0.72 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट कम 01 की खातेदारी में दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट मंगवाये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 25.11.2019 को अपील प्रस्तुत की है जो लगभग 02 वर्ष 08 माह बाद प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताये हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । वादग्रस्त आराजी वादी के पिता मोडू पुत्र पन्ना के गैर खातेदारी में दर्ज थी । साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा जो हैक्टर में 1.72 हैक्टर बनते है। जिसे बाद बन्दोबस्त वादी के खाते में खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर दर्ज किया गया । इस प्रकार वादी के गैर खातेदारी की भूमि में 0.72 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी का वाद स्वीकार कर डिकी किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.03.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 664, आरआरटी 2011 पेज 851 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श–पी–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श– पी–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श–पी–3, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041 से 2060 प्रदर्श –पी– 4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– पी– 5 पेश किये हैं ।

14. वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू–1 रामनाथ, पीडब्ल्यू– 2 कैलाश कराये गये हैं ।

15. वादी रेस्पोडेन्ट वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 (मृतक) रामनाथ ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 78 में खसरा नम्बर 133 की रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 मिन की रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 235/121 की रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 की रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता मोडू पुत्र पन्ना जाति

बैरवा की गैर खातेदारी में दर्ज है । जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.14 हैक्टर कायम किये । वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर मिन 32 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा (जो हैक्टर में 1.72 हैक्टर होते हैं) के बाद बन्दोबस्त वादी के खाते में खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर दज किया गया । वादी के खाते में 0.72 हैक्टर कमी रकबा दर्ज कर दिया गया । जबकि वादी अपने गत रकबे के मुकाबले 1.72 हैक्टर भूमि पर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

16. परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट की कमी भूमि 0.72 हैक्टर के रकबा पूर्ति हेतु वादी के खाते की खसरा नम्बर 110 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि के समीपस्थ अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 43 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 की 0.84 में से 0.72 हैक्टर एवं सिवायचक खसरा नम्बर 47 की 0.14 भूमि वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 45 में से कितनी भूमि ली जानी है । जबकि भू–प्रबन्ध से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 के अनुसार अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 31 की रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 32/1 की रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 32/177 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 142/1 की रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 13 बीघा (2.10 हैक्टर) के मुकाबले नवीन खसरा नम्बर 43 की रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 की रकबा 0.04 हैक्टर, 45 की 0.84 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 270 की 1.28 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 2.26 हैक्टर कायम हुए हैं जो भू–प्रबन्ध से पूर्व के रकबे की तुलना में 0.16 हैक्टर अधिक है । इस प्रकार अपीलान्ट के भू–प्रबन्ध से पूर्व के खाते नवीन जमाबन्दी के अनुसार 0.16 हैक्टर भूमि ही अधिक दर्ज की गई है । परन्तु सम्पूर्ण भूमि किस प्रकार अपीलान्ट के खाते से ली गई है ? यह स्पष्ट नहीं है । अपील में रेस्पोडेन्ट वादी की भूमि से 0.72 हैक्टर की कमी हुई है, जिसका अपीलान्ट ने भी कोई विरोध नहीं किया । परन्तु उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि किस खसरा नम्बर से कितनी कम हुई है ? मौके की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने खसरा नम्बर 43 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.84 हैक्टर एवं सिवायचक खसरा नम्बर 47 की रकबा 0.14 हैक्टर भूमि में से 0.72 हैक्टर वादी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत नहीं है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है । प्रतिवादी कम 01 गिर्राज की मृत्यु सन् 2016 में होना अंकित किया है जिसका रेस्पोडेन्ट ने कोई खण्डन नहीं किया । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 16 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार पीपल्दा से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा